प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ : माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक- 535/2005

मंगल बैगा

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

एवं

दांडिक अपील क्रमांक 1241/2003

मांगीलाल और अन्य

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

विचारार्थ हेतु निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

टी.पी. शर्मा न्यायाधीश

माननीय श्री आर.एल. झंवर न्यायधीश

मैं सहमत हूँ

सही/-

आर.एल. झंवर न्यायाधीश

निर्णय हेतु सूचीबद्ध किया गया: 15-2-2010

सही/-

टी.पी. शर्मा

न्यायाधीश

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

युगलपीठ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कोरम: माननीय श्री टी.पी. शर्मा एवं

माननीय श्री आर.एल. झंवर, न्यायधीशगण

दांडिक अपील क्रमांक 535/2005

अपीलार्थी मंगल बैगा, आत्मज गणेश सिंह बैगा आयु- 55 वर्ष,

(जेल में) व्यवसाय- मजदूरी, निवासी ग्राम बोल्दा, थाना रेंगाखार,

10/12/2003 जिला कबीरधाम (छ.ग.)

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना रेंगाखार, जिला कबीरधाम (छ.ग.)

एवं

<u>दांडिक अपील क्रमांक 1241/2003</u>

<u>अपीलार्थीगण</u> **1.** मांगीलाल आत्मज मंगलसिंह बैगा, आयु 27 वर्ष, मजदूर

(जेल में) **2.** भैरा उर्फ महादेव आत्मज मंगलसिंह, आयु 23 वर्ष, मजदूर दोनों निवासी ग्रामः बोल्दा, थानाः रेंगाखार, जिलाः कबीरधाम (छ.ग.)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाम

प्रत्यर्थी: छत्तीसगढ़ राज्य द्वारा पुलिस थाना रेंगाखार, जिलाः कबीरधाम (छ.ग.)

(दांडिक प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374 (2) के तहत दांडिक अपील)

उपस्थित: श्री जे.ए. लोहानी, अधिवक्ता, अपीलार्थी की ओर से (दांडिक अपील क्र. 535/2005)

सुश्री सोफिया खान, अधिवक्ता, अपीलार्थीगण की ओर से (दांडिक अपील क्र. 1241/2003)

श्री रविंद्र अग्रवाल, (पैनल अधिवक्ता), राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से।

निर्णय

(दिनांक 15 फरवरी, 2010 को पारित)

न्यायालय का निर्णय टी.पी. शर्मा, न्यायधीश द्‌वारा दिया गया:-

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

1. अपीलार्थी मंगल बैगा द्वारा दायर दांडिक अपील क्रमांक 535/2005 और अपीलार्थीगण मांगीलाल एवं भैरा उर्फ महादेव द्वारा दायर दांडिक अपील क्रमांक 1241/2003 एक ही अपराध के विरुद्ध दायर की गई हैं, जो पृथक सत्र विचारण क्रमांक 3/2004 और 3/2003 द्वारा निर्णय दिनांक 30/3/2005 और 13/10/2003 के माध्यम से निर्णित की गई थीं, इसलिए, इनका निराकरण इस समान निर्णय द्वारा किया जा रहा है।

2. दांडिक अपील क्रमांक 535/2005 में, अपीलार्थी मंगल बैगा ने सत्र विचारण क्रमांक 3/2004 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कवर्धा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 30/3/2005 की वैधानिकता

और औचित्यता को चुनौती दी है। जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थी को मृतक नैनसिंह की हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध और सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए बुधन सिंह और बुधवारो बाई के जीवन को आसन्न खतरे में डालने के अपराध का दोषी पाते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 सहपठित धारा 34 और धारा 336 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन सश्रम कारावास एवं 200/- रुपये का जुर्माना, तथा व्यतिक्रम की स्थिति में 3 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास और 3 माह के सश्रम कारावास से दण्डित किया ।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

दांडिक अपील क्रमांक 1241/2003 में, अपीलार्थीगण मांगीलाल और भैरा उर्फ महादेव ने भी सत्र विचारण क्रमांक 3/2003 में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) कवर्धा द्वारा पारित दोषसिद्धि के निर्णय और दंडादेश दिनांक 13/10/2003 की वैधानिकता और औचित्यता को चुनौती दी है। जिसमें विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को मृतक नैनसिंह की हत्या की कोटि में आने वाले आपराधिक मानव वध और सामान्य आशय को अग्रसर करते हुए बुधन सिंह और बुधवारो बाई के जीवन को आसन्न खतरे में डालने के अपराध का दोषी पाते हुए, भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और धारा 336 के तहत दोषी ठहराया और आजीवन कारावास एवं 3 माह के सश्रम कारावास से दंडित किया।

3. दोषसिद्धि को इस आधार पर चुनौती दी गई है कि बिना किसी पर्याप्त साक्ष्य के अधीनस्थ न्यायलय ने उपरोक्त अपीलार्थीगण को दोषी ठहराया और दंडित किया, और इस प्रकार अवैधता कारित की है।

4. अभियोजन का मामला संक्षेप में यह है कि 26/12/2000 को घटना वाले दिन शाम करीब 6 बजे, शिकायतकर्ता बुधन सिंह और बुधवारो बाई अपनी बाड़ी में मौजूद थे और सरसों की फसल काट रहे थे। अपीलार्थीगण बाड़ी में गए और गंदी भाषा का प्रयोग करने लगे, तब बुधन सिंह और बुधवारो बाई बुधिया बाई के घर में घुस गए। तीनों अपीलार्थीगण ने बुधिया बाई के घर पर पथराव किया। मृतक नैनसिंह अपने घर से बाहर आया और अपीलार्थीगण से पूछा कि वे पथराव क्यों कर रहे हैं, तब अपीलार्थीगण ने नैनसिंह पर पथराव किया और उसके सिर पर चोट पहुंचाई, नैनसिंह गिर गया और मौके पर ही उसकी मृत्यु हो गई। बर्तु सिंह पुलिस थाना गया और प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई। घटनास्थल का नक्शा भी तैयार किया गया। गवाहों को बुलाने के बाद मृतक नैनसिंह के शव का पंचनामा तैयार किया गया। शव को शवपरीक्षण के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, कवर्धा भेजा गया। डॉ. आर.के. भूआर्य ने शव परीक्षण किया और निम्नलिखित चोटें पाईं:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(1) सिर चपटा हो गया था और सिर के बाईं ओर 8x10 सेमी की खरोंच पाई गई।

(2) बाईं भौंह पर 4x3 सेमी की खरोंच।

(3) मैक्सिलरी बोन पर 8x3 सेमी की खरोंच।

(4) चेहरे के बाईं ओर 6x4 सेमी की का नीलांगू।

(5) माथे पर 7x6 सेमी की खरोंच।

(6) दाहिने स्कैपुला पर 10x4 सेमी की खरोंच।

(7) बाएं ललाट, पार्श्व, पश्चकपाल हड्डी का फ्रैक्चर और मैक्सिलरी

बोन का मल्टीपल फ्रैक्चर, मस्तिष्क फट गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

मृत्यु अत्यधिक रक्तस्राव के परिणामस्वरूप सदमे से हुई थी। मृत्यु की प्रकृति हत्यात्मक थी। डॉ. के.एस. ध्रुव द्वारा बुधन सिंह की भी जांच की गई और बाईं भौंह और बाएं घुटने पर दो चोटें पाई गईं। शव परीक्षण के बाद मृतक के कपड़ों का सीलबंद थैला जब्त किया गया। पत्थर जब्त किए गए और रासायनिक परीक्षण के लिए भेजे गए। पत्थरों पर खून की मौजूदगी पाई गई।

5. गवाहों के बयान दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 (संक्षेप में 'संहिता') की धारा 161 के तहत दर्ज किए गए। विवेचना पूरी होने के बाद, आरोप पत्र दायर किया गया और मामला सत्र न्यायालय, राजनांदगांव को उपार्पित किया गया,

विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने विचारण हेतु अंतरण पर मामला प्राप्त किया।

6. सत्र विचारण क्रमांक 3/2004 में आरोपी/अपीलार्थी के दोष को साबित करने के लिए, अभियोजन पक्ष ने 9 गवाहों का परीक्षण किया, जबकि सत्र विचारण क्रमांक 3/2003 के मामले में, अभियोजन पक्ष ने 12 गवाहों का परीक्षण किया। संहिता की धारा 313 के तहत आरोपी/अपीलार्थीगण के बयान दर्ज किए गए, जहां उन्होंने अपने विरुद्ध दिखाई देने वाली परिस्थितियों से इनकार किया और निर्दोष होने तथा झूठा फंसाए जाने का वाक किया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

7. पक्षों को सुनवाई का अवसर देने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आरोपी/अपीलार्थीगण को उपरोक्त अनुसार दोषी ठहराया और दंडित किया।

8. हमने अपीलार्थीगण के अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी और सुश्री सोफिया खान तथा राज्य/प्रत्यर्थी की ओर से श्री रविंद्र अग्रवाल, पैनल अधिवक्ता को सुना और दोनों आक्षेपित निर्णयों के साथ-साथ विचारण न्यायालय के दोनों अभिलेखों का परीशीलन किया।

9. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता श्री जे.ए. लोहानी और सुश्री सोफिया खान ने तर्क दिया कि अभियोजन पक्ष ने अपीलार्थीगण के दोष को साबित करने

के लिए कोई साक्ष्य एकत्र नहीं किया है और दोषसिद्धि केवल अटकलों और पूर्वानुमानो पर आधारित है, विधिक साक्ष्य के अभाव में दोषसिद्धि विधि के तहत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

10. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि अपीलार्थीगण ने मृतक नैनसिंह को उसकी मृत्यु कारित करने के आशय से कोई चोट नहीं पहुंचाई है। यहां तक कि अभियोजन के मामले के अनुसार, जब वे पत्थर फेंक रहे थे, नैनसिंह अचानक मौके पर आ गया और फेंके गए पत्थरों से उसे चोट लग गई, इसलिए यदि अभियोजन के मामले को स्वीकार भी कर लिया जाए, तो भी अपीलार्थीगण का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के दायरे से बाहर नहीं जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने ***कपूर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य***[1] के मामले पर भरोसा जताया, जिसमें इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने यह माना है कि बिना पूर्व-चिंतन के और उत्तेजना के क्षण में, आवेश की तीव्रता में एक ही वार से किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के मामले में, आरोपी का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के अंतर्गत आता है।

[1] 1991 CRI. L.J. 2159

12. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने ***आसू और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य***[2] के मामले पर भी भरोसा जताया, जिसमें राजस्थान उच्च न्यायालय ने यह माना है कि मृतक को मारने के आशय के अभाव में, आरोपी जिसने मृतक के सिर पर घातक चोट पहुंचाई है, उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-I के बजाय धारा 304 भाग-II के तहत दोषी ठहराया जा सकता है।

13. अपीलार्थीगण के विद्वान अधिवक्ता ने ***मंगल सिंह उर्फ मंगत राम आदि बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य***[3] के मामले पर भी भरोसा किया, जिसमें हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय ने माना है कि सिर पर पत्थर की चोट के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु होने, और हेतुक के प्रमाण के अभाव और प्रत्यक्षदर्शी तथा चिकित्सीय साक्ष्य के बीच विरोधाभास होने पर आरोपी बरी होने का हकदार है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

14. दूसरी ओर, प्रत्यर्थी/राज्य के विद्वान अधिवक्ता ने अपीलों का विरोध किया और निवेदन किया कि अपीलार्थीगण ने पहले बुधन सिंह और बुधवारो बाई को दौड़ाया और जब वे बुधिया बाई के घर में घुस गए, तो जानबूझकर घातक चोट पहुंचाने की दृष्टि से उन्होंने बुधिया बाई के घर में पथराव किया और नैनसिंह पर भी पथराव किया, जो नैनसिंह की मृत्यु कारित करने और

[2] 2000 CRI. L.J. 207
[3] (1995) 4 ILR HP 2965

अन्य व्यक्तियों के जीवन को आसन्न खतरे में डालने के उनके गंभीर आशय को दर्शाता है।

15. पक्षों की ओर से प्रस्तुत तर्कों के परिशीलन के लिए, हमने दोनों मामलों में अपीलार्थीगण की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों की जांच की है। दोनों मामले एक ही अपराध से उत्पन्न हुए हैं। सत्र विचारण क्रमांक 3/2004 में अपीलार्थी मंगल बैगा और सत्र विचारण क्रमांक 3/2003 में अपीलार्थीगण मांगीलाल और भैरा उर्फ महादेव फरार थे, इसलिए मामले को विभाजित कर दिया गया था और उनकी गिरफ्तारी के बाद उन पर विचारण किया गया।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

16. वर्तमान मामले में नैनसिंह की घातक चोट के परिणामस्वरूप हुई हत्यात्मक मृत्यु पर कोई खास विवाद नहीं है, दूसरी ओर, यह डॉ. आर.के. भूआर्य के साक्ष्य और उनकी शव परीक्षण रिपोर्ट से स्थापित है, जिससे पता चलता है कि चोट के परिणामस्वरूप मृतक का सिर चपटा हो गया था और सिर की मैक्सिलरी बोन टूटी हुई पाई गई थी, जो घातक चोट के परिणामस्वरूप हत्यात्मक मृत्यु को दर्शाता है।

17. जहां तक प्रश्नगत अपराध में आरोपी/अपीलार्थीगण की संलिप्तत का संबंध है, दोषसिद्धि प्रत्यक्षदर्शी गवाहों बर्तु सिंह, बुधिया बाई, बुधवारो बाई और बुधन सिंह के साक्ष्य पर आधारित है, जिन्होंने अपने साक्ष्य में मुख्य रूप से यह

बयान दिया है कि बुधन सिंह और बुधवारो बाई अपने खेत में सरसों की फसल काट रहे थे। तीनों अपीलार्थीगण उनके खेत में आए, मृतक नैनसिंह अपने घर में मौजूद था। अपीलार्थीगण ने बुधन सिंह और बुधवारो बाई पर पथराव किया, तब वे बुधिया बाई के घर की ओर भागे और उसके घर के अंदर छिप गए, उसी समय नैनसिंह बैल के लिए आया, अपीलार्थीगण ने उस पर पथराव किया। सबसे पहले मांगीलाल ने नैनसिंह के सिर पर पत्थर फेंका, फिर वह गिर गया, तब अन्य आरोपियों ने उसे लाठी से मारा, नैनसिंह की मौके पर ही मौत हो गई और फिर अपीलार्थीगण मौके से भाग गए। सभी गवाहों ने विशेष रूप से बयान दिया है कि अपीलार्थी मांगीलाल ने नैनसिंह के सिर पर पत्थर फेंका था, फिर अन्य अपीलार्थीगण ने उसे लाठी से मारा। डॉ. आर.के. भूआर्य ने भी अपने साक्ष्य में स्वीकार किया है कि नैनसिंह के सिर पर चोट पत्थरों से आ सकती है। शव परीक्षण रिपोर्ट और डॉ. आर.के. भूआर्य के साक्ष्य से पता चलता है कि स्कैपुला पर एक चोट को छोड़कर सभी चोटें मृतक के सिर पर मौजूद थीं, यह दर्शाता है कि मृतक को चोट पहुंचाने के लिए अनियमित आकार के पत्थरों का उपयोग किया गया था और उपरोक्त गवाहों के साक्ष्य से पता चलता है कि अपीलार्थी मांगीलाल ने मृतक के सिर पर एक पत्थर फेंका था। बचाव पक्ष ने इन गवाहों से विस्तार से प्रति परीक्षण किया है, लेकिन उनकी गवाही को अविश्वसनीय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

बनाने या यह दिखाने के लिए कि अपीलार्थी मांगीलाल ने मृतक के सिर पर पत्थर नहीं फेंका था, उनके प्रति परीक्षण में कुछ भी हासिल नहीं कर सके है। इन गवाहों के साक्ष्य से यह भी पता चलता है कि इन सभी अपीलार्थीगण ने बुधिया बाई के घर में पथराव किया था। जहाँ बुधन सिंह और बुधवारो बाई छिपे हुए थे।

18. अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों का परिशीलन करने के बाद, विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने अपीलार्थीगण को भारतीय दंड संहिता की धारा 302/34 और 336 के अंतर्गत दोषी ठहराया है, लेकिन विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने मामले के इस महत्वपूर्ण पहलू पर विचार नहीं किया है कि अपीलार्थीगण किसी व्यक्ति को निशाना बनाए बिना पत्थर फेंक रहे थे और केवल मांगीलाल ने मृतक के सिर पर एक पत्थर फेंका था। उसने बार-बार पत्थर नहीं फेंका, अन्य अपीलार्थीगण मौजूद थे लेकिन अन्य अपीलार्थीगण द्वारा किए गए हमले से संबंधित साक्ष्य की पुष्टि चिकित्सीय साक्ष्य से नहीं होती है। मांगीलाल को छोड़कर अन्य अपीलार्थीगण द्वारा किए गए हमले से संबंधित चिकित्सीय और प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य में विरोधाभास है और मृतक के शरीर पर मांगीलाल द्वारा दी गई सिर की चोट के अलावा कोई अन्य चोट नहीं पाई गई। यद्यपि, साक्ष्य से पता चलता है कि सभी अपीलार्थीगण पत्थर फेंक रहे थे और उन्होंने बुधन सिंह, बुधवारो बाई और बुधिया बाई के जीवन

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

को आसन्न खतरे में डाला था और वे सामान्य आशय साझा करते हुए कार्य कर रहे थे, लेकिन साक्ष्य से पता चलता है कि अन्य अपीलार्थीगण ने नैनसिंह को चोट पहुंचाने में सामान्य आशय साझा नहीं किया, इस प्रकार अवैधता कारित की है। यद्यपि अपीलार्थी मांगीलाल ने नैनसिंह के सिर पर पत्थर फेंका था, लेकिन उसने चोट को दोहराया नहीं, उसका कृत्य एक उतावलापन पूर्ण कृत्य प्रतीत होता है जिसके परिणामस्वरूप मृतक नैनसिंह की मृत्यु हुई।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्य यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि अपीलार्थी मांगीलाल या अन्य ने मृतक की मृत्यु कारित करने के आशय से चोट पहुंचाई थी, लेकिन व्यक्तियों पर बड़े आकार के पत्थर फेंकना यह दर्शाता है कि अपीलार्थी मांगीलाल को यह ज्ञान था कि उसके कृत्य के परिणामस्वरूप मृतक की मृत्यु हो सकती है, जैसा कि ***कपूर लाल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य*** और ***आसू और एक अन्य बनाम राजस्थान राज्य*** (पूर्वोक्त) के मामले में माना गया है। अपीलार्थी मांगीलाल का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II के दायरे से बाहर नहीं जाता है, लेकिन सभी अपीलार्थीगण का कृत्य भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत दंडनीय है।

20. पूर्वोक्त कारणों से, अपीलार्थीगण की दोषसिद्धि और दंडादेश विधि के अंतर्गत स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है। परिणामस्वरूप, दांडिक अपील क्रमांक 535/2005 और 1241/2003 आंशिक रूप से स्वीकार की जाती हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 336 के तहत अपीलार्थीगण मंगल बैगा, मांगीलाल और भैरा उर्फ महादेव की दोषसिद्धि की पुष्टि की जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अपीलार्थी मांगीलाल की दोषसिद्धि को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भाग-II में परिवर्तित किया जाता है और उसे अभिरक्षा की अवधि यानी दिनांक 04/12/02 से आज तक की हिरासत अवधि से दंडित किया जाता के लिए सजा सुनाई जाती है। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत अन्य अपीलार्थीगण मंगल बैगा और भैरा उर्फ महादेव की दोषसिद्धि और दंडादेश को अपास्त किया जाता है। अपीलार्थीगण मंगल बैगा और भैरा उर्फ महादेव को तुरंत रिहा किया जाए। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता न हो तो सभी अपीलार्थीगण को रिहा किया जाए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
टी.पी. शर्मा	आर.एल. झंवर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

<u>अस्वीकरणः</u>

हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Translated By MANISH CHANDRAKAR

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur